चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(6)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांकः 27.10.2023

–: आदेश :–

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम घोषणा के तहत मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा आम चुनाव, 2023 मतदान दिनांक 17.11.2023 को होगा। अतः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा आम चुनाव, 2023 के लिए मध्यप्रदेश राज्य से लगते हुये राजस्थान राज्य के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बांरा एवं झालावाड जिलो के निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर) को मतदान दिवस दिनांक 17.11.2023 का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

यह सार्वजनिक अवकाश ऐसे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कार्मिक, जो मध्यप्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता है, उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) अपने नियोक्ता (Employer) को अवकाश हेतु आवेदन करने पर उनके द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

संलग्न :–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
के पत्र दिनांक 17.10.2023 की प्रति ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव (जीजी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
6. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक 7078 दिनांक 17.10.2023 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
12. संम्भागीय आयुक्त भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर।
13. जिला कलक्टर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बांरा एवं झालावाड।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. समस्त विभागाध्यक्ष/उपक्रम/निगम/बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान।
16. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
17. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जय[illegible] है [illegible] आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

Signature valid
Rajkaj Ref 4968700
Digitally signed by Shelly Kishnani
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2023.10.27 10:56:03 IST
Reason: Approved

ELECTION URGENT

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

विषयः– मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा आम चुनाव, 2023– राज्य के सीमावर्ती जिलों में मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश है कि जहां मतदान हो रहा है, उस क्षेत्र के मतदाता जो अन्य राज्य अथवा क्षेत्र में नियोजित है, उन्हें मतदान के दिन अवकाश दिया जावे।

मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा आम चुनाव के लिए दिनांक 17.11.2023 को मतदान होगा। अतः मध्य प्रदेश राज्य से लगते हुए राजस्थान राज्य के जिलें क्रमशः धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाडा, चितौडगढ, प्रतापगढ, भीलवाडा, कोटा, बांरा एवं झालावाड जिलों के कार्मिक जो मध्य प्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता है, मतदान दिवस दिनांक 17.11.2023 का अवकाश हेतु आवेदन करने पर उक्त जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्राधिकृत करावें एवं प्रसारित आदेश की एक प्रति भी इस विभाग को प्रेषित करें।

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन (ग्रुप 2) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(23)निर्वा./2023/7078
जयपुर, दिनांक 17.10.23

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाडा, चितौडगढ, प्रतापगढ, भीलवाडा, कोटा, बांरा एवं झालावाड को सूचनार्थ प्रेषित है।

विशेषाधिकारी,
निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

श्री प्रभारी

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
दूरभाष (कार्या.) : 0755-2550488, 2550412, 2570414, 2446602, फैक्स : 0755-2555162

फा.क्र. 10–क / चार / 2018 / निर्वा.व्यय / निर्देश / 9740 भोपाल, दिनांक 16/10/2023

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात

विषयः–विधानसभा निर्वाचन 2023– स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के उपाय – शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित कराने एवं मतदान दिवस का सवैंतनिक अवकाश घोषित कराने बावत्।

संदर्भः–1.भारत निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट पत्र क्र ECI/PN/57/2023 दिनांक 09.10.2023
2. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र 576/14/2023/EPS दिनांक 10.10.2023
3. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र 78/EPS/2023 दिनांक 10.10.2023

कृपया विषयांतर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट दिनांक 09.10.2023 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 17.11.2023 को मतदान एवं दिनांक 03.12.2023 को मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि जिस राज्य में मतदान हो रहे है उसके पडोसी राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों के 3 किलोमीटर क्षेत्र में शराब बंदी की जावे तथा मतदान में जा रहे राज्य के मतदाता, जो पडोसी राज्यों में काम कर रहे है, उन्हें मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जावे। अतः अनुरोध है कि आपके राज्य से निम्न आदेश प्रसारित कराने का कष्ट करें–

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधानानुसार एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 20 जनवरी, 2010 (प्रति संलग्न) की पालन में मतदान दिवस दिनांक 17.11.2023 को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में आपके राज्य में मध्यप्रदेश राज्य से लगते हुए सीमावर्ती 3 किलोमीटर क्षेत्र में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित कराने तथा साथ ही मतगणना दिवस दिनांक 03.12.2023 को भी शुष्क दिवस (Dry DAY) घोषित कराया जाकर आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ख के प्रावधानानुसार एवं भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित निर्देश क्रं. 3 दिनांक 10.11.2023 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राज्य के निवासी जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता है और आपके राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकान, ओद्योगिक उपक्रम या कारभार / व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित / कार्यरत प्रत्येक कामगार को मतदान दिवस दिनांक 17.11.2023 का सवैतनिक अवकाश दिया जावे। इस संबंध में आदेश प्रसारित कराये जाकर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Scanned with OKEN S...

सुलभ संदर्भ हेतु आपके राज्य की सीमाओं से लगते हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिलों की सूची संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः-- उपरोक्तानुसार

(राजेश कुमार कौल)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश,

पृ.क. 10–क/चार/2018/निर्वा.व्यय/निर्देश/5741 भोपाल, दिनांक 16/10/2023

प्रतिलिपिः–

1. श्री अजय कुमार वर्मा, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड़, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री अमित कुमार, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड़, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्री योगेश देशमुख, अतिरिक्त पुलिस, महानिदेशक एवं राज्य नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय निगरानी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. श्री अनुराग, पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा) एवं एसपीएनओ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
9. श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आबकारी आयुक्त एवं राज्य नोडल अधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त , म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. पुलिस आयुक्त (भोपाल एवं इन्दौर) एवं पुलिस अधीक्षक, समस्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार कौल)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश,

Scanned with OKEN Scanner